समितियों में लघुवनोपज प्रसंस्करण इकाई के चयन हेतु नियम एवं शर्त

नियम एवं शर्त :–

1. आवेदन विहित प्रपत्र में सभी आवश्यक अनुलग्नको के साथ कार्यालय में निर्धारित समयावधि तक समर्पित करें।
2. झाम्फकोफेड का बकाएदार/डिफॉल्टर समिति इस योजना के लिए अयोग्य होंगे।
3. झाम्फकोफेड द्वारा योग्यता के आधार पर समितियों का चयन करने का अधिकार सुरक्षित होगा। समितियों का चयन झाम्फकोफेड द्वारा निर्धारित मापदण्डों के प्राप्तांकों के आधार पर व्यवसाय उपसमिति द्वारा किया जाएगा।
4. झाम्फकोफेड के व्यवसाय उप समिति द्वारा चयनित लघुवनोपज सहयोग समिति/लैम्पस/पैक्स के साथ झाम्फकोफेड द्वारा छः वर्षो के लिए एक एकरारनामा किया जाएगा।
5. एकरारनामा अवधि में प्रथम वर्ष के पश्चात् आगामी पाँच वर्षों तक के लिए प्रति वर्ष 25,000.00 (पच्चीस हजार) रुपए झाम्फकोफेड को देय होगा। यह राशि वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ माह अप्रैल के प्रथम सप्ताह में भुगतान करना होगा।
6. एकरारनामा अवधि में झाम्फकोफेड के द्वारा समिति के निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा।
7. चयनित समिति को झाम्फकोफेड द्वारा ईमली प्रसंस्करण (12.40 लाख)/चिरौंजी प्रसंस्करण(10.15 लाख) रुपए निम्न आधारभूत संरचना हेतु उपलब्ध कराई जाएगी :–

क्र सं.	प्रसंस्करण यूनिट का नाम	अवयव	राशि
1	ईमली प्रसंस्करण इकाई	शेड (30 ft. X 40 ft.)	8,00,000.00
		प्रसंस्करण/पैकेजिंग यूनिट मशीन	4,40,000.00
		कुल	12,40,000.00
2	चिरौंजी गुठली प्रसंस्करण इकाई	शेड (30 ft. X 40 ft.)	8,00,000.00
		प्रसंस्करण/पैकेजिंग यूनिट मशीन	2,15,000.00
		कुल	10,15,000.00

8. योजना पूर्ण करने में उपलब्ध कराए जा रहे अनुदान राशि से अधिक व्यय होने की स्थिति में समिति द्वारा बढ़ी हुई राशि अपने कोष से व्यय की जाएगी।
9. एकरारनामा अवधि में समिति द्वारा किए गए व्यवसाय का मासिक प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से झाम्फकोफेड कार्यालय में जमा करना होगा।
10. लघुवनोपज विपणन व्यवसाय हेतु समिति के सदस्य कृषकों द्वारा संग्रहित एवं प्रसंस्कृत लघुवनोपज को क्रय करने का प्रथम अधिकार झाम्फकोफेड को सुरक्षित होगा।
11. समिति प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग तथा पैकेजिंग सेंटर में महिलाओं की सहभागिता को सुनिश्चित करेंगे।

19/8/16

प्रबंध निदेशक।
झाम्फकोफेड, राँची